

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2240] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 25, 2013/आश्विन 3, 1935 No. 2240] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 25, 2013/ASVINA 3, 1935

शहरी विकास मंत्रालय (दिल्ली प्रभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2013

का.आ.2912 (अ).— दिनांक 10 मई 2013 के का.आ.सं0 1199 (अ) में आंशिक संशोधन करते हुए निम्निलिखित संशोधन किये जाते हैं :

पैरा	दिल्ली मुख्य योजना-2021										
	मौजूदा प्रावधान				प्रस्तावित संशोधन/आशोधन						
1	2				3						
	फार्म हाऊस				कम घनत्व						
4.4.3	(vi)	अनुमेय	- अनुमेय	(vi)	अनुमेय	-एक एकड़ (0.40 हेक्टेयर) के					
(ਤੀ)		मुख्य	गुख्य एफएआर द्वारा		मुख्य	एलडीआरए भूखंड पर 20 एफएआर					
		रिहायशी	नियंत्रित की जाने		रिहायशी	तक दो रिहायशी एकक अनुमत की जा					
		एककों की	वाली एककों की		एककों की	सकती हैं तथा 10 अतिरिक्त एफएआर					
		संख्या	संख्या		संख्या	अर्थात् २० से ३० तक एक अतिरिक्त					
			- अनुमेय			रिहायशी एकक अनुमत है बशर्ते कि					
			एफएआर के			भारत सरकार द्वारा यथा अनुमोदित					
			अतिरिक्त 60 वर्ग			और अधिसूचित अपेक्षित प्रभारों का					
			मीटर प्रति एकड़			भुगतान किया गया हो ।					
			की ईडब्ल्यूएस			-अनुमेय एफएआर के अतिरिक्त 60					
			एकक			वर्ग मीटर प्रति एकड़ की ईडब्ल्यूएस					
						एकक।					

[फा.सं0 के-12016/3/2008-डीडी-।] सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th September, 2013

S.O. 2912(E).—In partial modification to S.O. No. 1199 (E) dated 10^{th} May, 2013 following modifications are made:

Para	MPD-2021											
	Existing provisions				Proposed amendments/modifications							
1	2 Farm House				3							
					Low density							
4.4.3(G)	(vi)	No. of main dwelling units permitted	 No. of units to be restricted by the FAR permissible. EWS units of 60 sqm per acre in addition to permitted FAR. 	(vi)	No. of dwelling permitted	main units	- Two Dwelling Units on LDRA plot of one acre (0.40 ha.) may be permitted with FAR of 20 and for additional 10 FAR i.e. from 20 to 30 one additional Dwelling Unit is allowed subject to payment of requisite charges as approved and notified by the Government of India - EWS units of 60 sqm per acre in addition to permitted FAR.					

[F. No. K-12016/3/2008-DD-I]

SUNIL KUMAR, Under Secy.